दीवानी

#2024/30 Gcms

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

गोविन्दराम बनाम रामकौरी

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 40 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.03.2024	प्रार्थी गोविन्दराम की तरफ से वकील श्री कृष्णकुमार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि ग्राम कालासर के ख.नं. 167/125 की 11.308 है. भूमि में अप्रार्थीया भूमि में बिना रूपान्तरण करवाये भूमि की किस्म परिवर्तन करने एवं निर्माण कार्य करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीया को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 29.04.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
29.4.2024	बुलाए प्रकरण उपस्थित/PU माननीय अजय कुमार में उपस्थित। पत्रावली पूर्व दिनांक 27.4.2024 तारीख तक पेश हो	
07.06.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मिसल पेशी पेश करते पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सहोदर भाई होने के कारण प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में काबिज रहना चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा मौजूदा स्थिति में काबिज [illegible] पत्रावली नस्ती से अस्त [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.06.19 18:19:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner